

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

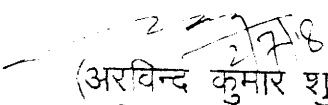
// आदेश //

क्रमांक C/3109 /

जबलपुर, दिनांक 5 / 08 / 2018

श्री धीरज गुप्ता, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से एम.ए. फाइनल राजनीति शास्त्र" से स्नातकोत्तर उपाधी की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

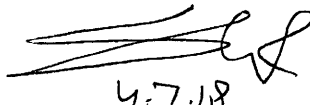

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/3110 /

जबलपुर, दिनांक 5 / 08 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री धीरज गुप्ता, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


4.7.18

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

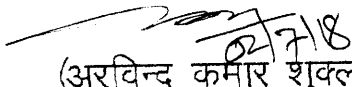
// आदेश //

क्रमांक C/3107 /
दो-14-9/83 भाग-17 बैच

जबलपुर, दिनांक 5 / 06 / 2018

श्री सिकंदर खान, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "ग्वालियर विधि महाविद्यालय जिला ग्वालियर म.प्र. से एलएल.बी (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश लेने एवं प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

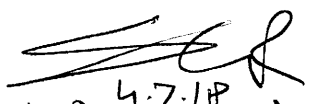
पृष्ठांकन क्रमांक C/3108 /
दो-14-9/83 भाग-17 बैच

जबलपुर, दिनांक 5 / 06 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 3252/स्था. ग्वालियर, दिनांक 04.06.2018 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री सिकंदर खान, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Per

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

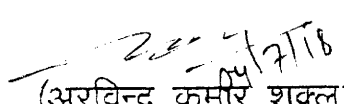
// आदेश //

क्रमांक C/3103 /
दो-14-9/83 भाग-17 बैंच

जबलपुर, दिनांक 5 / 08 / 2018

श्री शिवशंकर म्हस्की, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "ग्वालियर विधि महाविद्यालय जिला ग्वालियर म.प्र. से एलएल.बी (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश लेने एवं प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

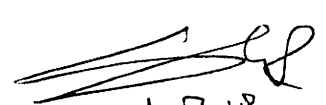
पृष्ठांकन क्रमांक C/3104 /
दो-14-9/83 भाग-17 बैंच

जबलपुर, दिनांक 5 / 08 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर जापन क्रमांक 3252 / स्था. ग्वालियर, दिनांक 04.06.2018 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री शिवशंकर म्हस्की, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3105 /
दो-14-9/83 भाग-17 बैच

जबलपुर, दिनांक 5 / 06 / 2018
7

श्री जीतेन्द्र कुमार बिजोरिया, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "ग्वालियर विधि महाविद्यालय जिला ग्वालियर म.प्र. से एलएल.बी (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश लेने एवं प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

04/06/18
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/3106 /
दो-14-9/83 भाग-17 बैच

जबलपुर, दिनांक 5 / 06 / 2018
7

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 3252/स्था. ग्वालियर, दिनांक 04.06.2018 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री जीतेन्द्र कुमार बिजोरिया, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

4.7.18
(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

आदेश

क्रमांक C/3099 /
डा-14-9/83 भाग-17

जबलपुर दिनांक 05/06/2016

श्री मंजीत काछी, मृत्यु, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को पी.जी.डी.सी.ए. परीक्षा वर्ष-2018 में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है -

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपयोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपयोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएंगे, तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा अगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल

क्रमांक C/3000 /

जबलपुर, दिनांक 5/06/2016

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
4. अनुमार्ग अधिकारी, स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
5. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
6. श्री मंजीत काछी, मृत्यु, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

(सिलोश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

For

Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक C/3101 /
दो-14-9/83 भाग-17

जबलपुर, दिनांक 5/08/2018

श्री मंजीत काछी, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को सीपीसीटी (टायपिंग पाठ्यक्रम) की परीक्षा वर्ष-2018 में शामिल होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है -

1. यह कि स्वीकारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेगा।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगान से करना होगा ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य परिष्कूल रूप से प्रभावित न हो। यदि वह कुछ गलतियाँ व शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं वरन् तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल

क्रमांक C/3102 /

जबलपुर, दिनांक 5/08/2018

प्रतिलिपि -

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वेइंट रजिस्ट्रार (प्रोटेक्टोरी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
3. कांट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. अनुभाग अधिकारी, स्थापना, प्रोटेक्टोरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री मंजीत काछी, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, म प्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

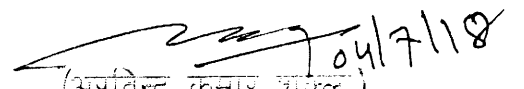
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3097 /

जबलपुर, दिनांक 5 / 06 / 2018

श्री सुदाम ढगो, सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रिट ब्रांच-एक में डीलिंग असिस्टेंट-16 के पद पर कार्यरत रहते हुये प्रकरण रिट पिटीशन क्रमांक 3720/2017 में अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता बदलने हेतु दिनांक 19.05.2017 का आइ.ए. क्रमांक 6828/17 फाइल किया जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश हेतु सूचीबद्ध नहीं किया एवं प्रकरण में डिफॉल्ट दूर करने हेतु दी गई अवधि के पूर्व ही माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.05.2017 के आदेश का उल्लंघन करने का प्रस्ताव तैयार करने की त्रुटि करने का फलस्वरूप चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें।

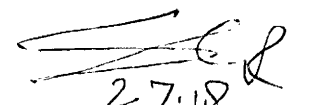

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल
फिर

पृष्ठांकन क्रमांक C/3098 /
प्रतिलिपि -

जबलपुर, दिनांक 5 / 06 / 2018

1. रजिस्ट्रार प्रशासन / कम-जबलपुर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना / न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर कम्प्यूटर में भविष्य के सदर्भ में रखे जाने हेतु प्रविष्टि क लिये
6. सहायक लेव. पुस्तिका उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. श्री सुदाम ढगो, सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित ।


27.18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
फिर

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3093 /

जबलपुर, दिनांक 5 / 07 / 2018

श्रीमति अंकिता कपूर, सहायक ग्रेड-तीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खडपीठ इन्दौर को "डी.सी.ए." की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, तब पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
5. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/3094 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 5 / 07 / 2018

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खडपीठ इंदौर की ओर उनके स्थापना के पृष्ठकन क्रमांक प्रशा./167-ए 1162 इंदौर, दिनांक 07.06.2018 के सदर्थ में,
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.)/कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्रीमति अंकिता कपूर, सहायक ग्रेड-तीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खडपीठ इंदौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित ।

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

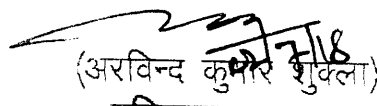
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक C/3095 /

जबलपुर, दिनांक 5 / 06 / 2018

श्रीमति आरती भटनागर, सहायक ग्रेड-तीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खडपीठ इन्दौर को "डी.सी.ए." की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
4. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/3096 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 5 / 06 / 2018

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खडपीठ इंदौर की ओर उनके स्थापना के पृष्ठांकन क्रमांक प्रशा./167-ए 1162 इंदौर, दिनांक 07.06.2018 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वॉइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्रीमति आरती भटनागर, सहायक ग्रेड-तीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खडपीठ इंदौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

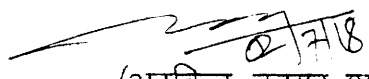
// आदेश //

क्रमांक C/3091 /
दो-14-9/93 भाग-17

जबलपुर, दिनांक 5 / 08 / 2018

श्री के. शिव. प्रसाद, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को नेशनल इंस्टीट्यूट, ओपन स्कूल से कक्षा दसवीं की परीक्षा-2018 में प्राइवेट छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/3092 /

जबलपुर, दिनांक 5 / 08 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री के. शिव. प्रसाद, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


4.7.18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

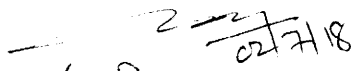
// आदेश //

क्रमांक C/3111 /
दो-14-9/83 भाग-17 बैच

जबलपुर, दिनांक 5 / 06 / 2018

श्री कुलदीप माठे, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP IT) स्टेट भोपाल द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता एवं प्रमाणन (CPCT) की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

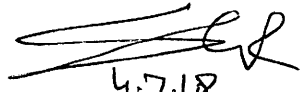
पृष्ठांकन क्रमांक C/3112 /
दो-14-9/83 भाग-17 बैच

जबलपुर, दिनांक 5 / 06 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (M0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 3253/स्था. ग्वालियर, दिनांक 04.06.2018 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु.
4. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
9. श्री कुलदीप माठे, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


4.7.18
(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur